

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./एएनएम/एफ-46/2021/

दिनांक :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अलवर/अजमेर/बांसवाडा/बाडमेर/भरतपुर/
बीकानेर/बून्दी/चित्तौड़गढ़/रतनगढ़/धौलपुर/
डूंगरपुर/गंगानगर/जयपुर-प्रथम/जैसलमेर/
जालौर/झालावाड/झुन्झुनू/जोधपुर/करौली/
कोटा/नागौर/पाली/सीकर/सिरोही/टोंक/
उदयपुर/दौसा/स.माधोपुर/हनुमानगढ़/बारां/
राजसमन्द/भीलवाडा/प्रतापगढ़ (राज0)।

विषय : महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2020-21 हेतु प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना भिजवाने बाबत निर्देश।

प्रसंग : निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक : प्रशि./एएनएम/एफ 46/2021/757 दिनांक : 06.12.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस निदेशालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2021-22 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की कम्प्यूटराईज्ड श्रेणीवार मेरिट सूचियां भिजवाये गये प्रपत्र में तैयार कर संबंधित संयुक्त निदेशक (जोन) से प्रमाणित करवाकर इस निदेशालय में संबंधित लिपिक के साथ गोपनीय/सील बन्द कर लिफाफे में मय हार्ड व सॉफ्ट कॉफी (सीडी) में निदेशालय को भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु सूचना आज दिनांक तक अपेक्षित है।

अतः आपको पुनः लेख है कि उक्तानुसार वांछित सूचना दिनांक 27.12.2021 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उक्त प्रशिक्षण की काउंसलिंग हेतु तिथि निर्धारण में विलम्ब के लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे तथा इस विलम्ब के लिए संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार को लिख दिया जावेगा।

८०

(डॉ० संजय सक्सेना)
संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज., जयपुर

क्रमांक : प्रशि./एएनएम/एफ-46/2021/772

दिनांक : 17/12/21

प्रतिलिपि : प्रभारी, सर्वर कक्ष को भेजकर लेख है कि संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को ई-मेल करते हुए विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड करने का श्रम करे।

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर